



दिल्ली विकास प्राधिकरण



सार्वजनिक सूचना

यह सूचित किया जाता है कि श्रीमती दर्शना, माली, पत्नी स्वर्गीय श्री किशन सिंह, जिन्हें कार्यालय पत्र सं. एफ 3(103)2006 / का.शा-4 / 1318 दिनांक 30.08.2010 के द्वारा अनुकंपा आधार पर दि.वि.प्रा. में नियुक्त किया गया था, दिनांक 02.06.2012 से अभी तक ड्यूटी से अनुपस्थित हैं। आपको एतद्वारा 15 कार्य दिवसों के अंदर उप निदेशक (पी.बी.)-4, तृतीय तल, बी-ब्लॉक, दि.वि.प्रा., विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 के कार्यालय में उपस्थित होने / रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है। यदि आपकी ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है तो आपकी सेवाएं समाप्त करने के लिए आपके मामले पर आचरण, अनुशासनात्मक और अपील विनियम, 1999, के विनियम 30 (क) उप-नियम (ग) के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

उप निदेशक (कार्मिक - IV)

कृपया अपने सुझाव डीडीए ऐप्स पर दें



कृपया डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.in देखें या टोल फ्री नंबर डायल करें 1800110332